प्रेस नोट दिनांक 13.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत बड़ी नहर पुलिया के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से चोरी की 01 अदद मोबाइल, 01 साइकिल व 01 गैस सिलेण्ड किया गया बरामद

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 12.10.2024 को वादी के घर से आरोपी द्वारा मोबाइल फोन व पैसे चोरी कर लेने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 434/2024 धारा 303(2),बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 ऋषिकान्त इन्दौलिया व का0 नीरज कुमार द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 434 / 24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त शैलेष वर्मा उर्फ पन्नालाल वर्मा पुत्र बृजपाल वर्मा नि०ग्राम असैनापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ को चोरी की 01 अदद मोबाइल, 01 साइकिल व 01 गैस सिलेण्डर के साथ थानाक्षेत्र लालगंज के बड़ी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोबाइल मैने कल रात तीन बजे हरिलाल पाल के पास से टीन सेड मे सोते समय चोरी किया था तथा साइकिल सुन्दरलाल वर्मा व सेलेण्डर भागीरथी वर्मा के घर से दस पन्द्रह दिन पहले चोरी किया था। जो मैने 800 रुपये हरिलाल के घर से चोरी किया था वह खर्च हो गया इसीलिए मै सिलेण्डर व साइकिल बेचने जा रहा था कि आप लोग पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शैलेष वर्मा उर्फ पन्नालाल वर्मा पुत्र बृजपाल वर्मा नि०ग्राम असैनापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-
चोरी के 01 अदद मोबाइल, 01 साइकिल व 01 गैस सिलेण्डर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का0 ऋषिकान्त इन्दौलिया व का0 नीरज कुमार थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत खनवारी पुल के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के पास से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 02.07.2024 को वादी के घर से ताला तोड़कर मोबाइल व अन्य सामान चोरी करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 134/2024 धारा 305(ए),बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में थाना मानिकपुर के प्रभारी निरीक्षक दीप नारायण के नेतृत्व में व0उ0नि0 शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह उ0नि0 अतुल तिवारी, का0 रणजीत सिंह व का0 संजीव कुमार द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 134 / 24 धारा 305(ए),बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त प्रियांशु मिश्रा पुत्र स्व0 कृपा शंकर मिश्रा निवासी देवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद मोबाइल फोन के साथ थानाक्षेत्र मानिकपुर के खनवारी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 02.07.2024 को मैंने यह मोबाइल अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे बेचू राम का पुरवा व मधईपुर पनिगौ से रात में चोरी किया था वही चुराया हुआ यह मोबाइल है उसको आज मैं बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- प्रियांशु मिश्रा पुत्र स्व0 कृपा शंकर मिश्रा निवासी देवापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह उ0नि0 अतुल तिवारी, का0 रणजीत सिंह व का0 संजीव कुमार थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

धमकी देकर छेड़खानी/ दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दुष्कर्म व आईटी एक्ट के अभियोग में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

थाना संग्रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कसुवापुर नहर पुल के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी के पुत्री के साथ आरोपीगण द्वारा धमकी देकर छेड़खानी करने, वीडियो वायरल करने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार अन्तर्गत धारा 74, 351(3) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट बनाम 02 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत

सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना संग्रामगढ़ के प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का० केवल साहू, का0 रामकिशन द्वारा दि0-13.10.2024 तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर खास की सूचना पर अन्तर्गत 74, 64, 351(3) बीएनएस व 67A आईटी एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मोहित पटेल पुत्र बृजलाल निवासी काशीपुर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के कसुवापुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- मोहित पटेल पुत्र बृजलाल निवासी काशीपुर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित सिंह हमराह का० केवल साहू, का0 रामकिशन थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

अवैध रूप से पटाखा विक्री कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अंतू पुलिस द्वारा आरोपी को अंतू मेले में भारी मात्रा में बेचने के लिए रखे अवैध आतिशबाजी/ पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को धर दबोचा

थाना अंतू पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अंतू मेला स्थल में चटाई बिछाकर विक्रय किया जा रहा अवैध पटाखा बरामद

अवैध पटाखा 01 बोरी व 02 कार्टून वजन करीब 30 किग्रा बरामद व पटाखा विक्रिय के रु0-310 नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना अंतू के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह कां0 अनिल यादव, कां0 उपेन्द्र यादव द्वारा कार्यवाही के दौरान, मूखबिर की सूचना पर दिनांक 12.10.2024 को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अंतू मेला स्थल में चटाई बिछाकर अवैध पटाखे विक्रय कर रहा था। 01 बोरी व 02 कार्टून वजन करीब 30 किग्रा बरामद व पटाखा विक्रिय के रु0-310

नगद के साथ 01 अभियुक्त, राममिलन वर्मा पुत्र स्व0 बुद्धू वर्मा निवासी ग्राम सरैया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त राममिलन वर्मा पुत्र स्व0 बुद्धू वर्मा उपरोक्त के कब्जे से कुल 01 बोरी व 02 कार्टून वजन करीब 30 किग्रा बरामद व पटाखा विक्रिय के रु0-310 नगद बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 561/24 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम राममिलन वर्मा के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अभियुक्त राममिलन वर्मा पुत्र स्व0 बुद्धू वर्मा निवासी ग्राम सरैया थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह कां0 अनिल यादव, कां0 उपेन्द्र यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्माण/ भण्डारण व परिवहन पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संख्त कार्यवाही की जायेगी। लाइसेंस धारक विस्फोटक पदार्थ निर्माण/भण्डारण व परिवहन का नियत स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन करें।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

अवैध रूप से पटाखा विक्री कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अंतू पुलिस द्वारा आरोपी को अंतू मेले में बेचने के लिए रखे अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को धर दबोचा

थाना अंतू पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अंतू मेला स्थल में चटाई बिछाकर विक्रय किया जा रहा अवैध पटाखा बरामद

अवैध पटाखा 01 बोरी, वजन करीब 10 किग्रा बरामद व पटाखा विक्रिय के रु0-230 नगद बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना अंतू के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह कां0 अनिल यादव, कां0 उपेन्द्र यादव द्वारा कार्यवाही के दौरान, मूखबिर की सूचना पर दिनांक 12.10.2024 को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अंतू मेला स्थल में चटाई बिछाकर अवैध पटाखे विक्रय कर रहा था। अवैध 01 बोरी निर्मित अतिशबाजी पटाखा वजन करीब 10 किग्रा व पटाखा विक्रिय के रु0-230 नगद के साथ 01 अभियुक्त, इरशाद उर्फ अप्पू पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम अन्तू बाजार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त इरशाद उर्फ अप्पू पुत्र मुख्तार उपरोक्त के कब्जे से कुल 01 बोरी निर्मित अतिशबाजी पटाखा वजन करीब 10 किग्रा बरामद व पटाखा विक्रिय के रु0-230 नगद बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 562/24 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम इरशाद उर्फ अप्पू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अभियुक्त इरशाद उर्फ अप्पू पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम अन्तू बाजार थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम- उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह का0 अनिल यादव, का0 उपेन्द्र यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्माण/ भण्डारण व परिवहन पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संख्त कार्यवाही की जायेगी। लाइसेंस धारक विस्फोटक पदार्थ निर्माण/भण्डारण व परिवहन का नियत स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन करें।

थाना सांगीपुर, जनपद- प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर/ गैगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट, मारपीट/ धमकी देने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे पर बने हुए गेट के पास एक झोपड़ी से वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से लूट के 850 रूपये नगद व 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

प्रतापगढ़-
दिनांक 09.09.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा वादी से भाई के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-180/2024 धारा-311, 115 (2), 191(2), 117(2), 352, 351(2), 351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त व 04 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी थाना सांगीपुर के नेतृत्व में दि0-13.10.2024 को उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह उ0नि0 मुसाफिर यादव, का0 खेमचन्द्र द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर खास की सूचना पर थाना सांगीपुर के मु0अ0सं0 180/2024 धारा 311/115 (2)/191(2)/117(2)/352/351(2)/351(3)/317 (2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त विजय सिंह पुत्र बाबू लाल निवासी ग्राम सराय तिहाइत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र के देउम चौराहे पर बने हुए गेट के पास एक झोपड़ी से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व लूट के 850 रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी गाँव के व्यक्ति जय बहादुर सिंह के लोगो के साथ पुरानी दुश्मनी है। जिनसे अभी कुछ दिन पहले भी मैं व मेरे बेटों ने मारपीट की थी। जिसमें हम लोगो एवं हमारे साथियो के खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखा है। पुलिस मुझे एवं मेरे बेटे विक्की एवं उसके साथियो की तलाश कर रही है। बरामद रुपये के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 09.09.2024 को मैं अपने बेटे विक्की और अन्य साथियो के साथ मिलकर लखरांव की दुकान पर मौजूद दीपक सिंह को मारा पीटा था। वहाँ से भागते समय दुकान से 8000 रुपये तथा दीपक के द्वारा पहनी गयी अंगूठी लूट लिये थे। उसी में से ये पैसा मेरे हिस्से का है शेष पैसा पीने खाने मे खर्च हो गया। मैं इस तमंचे से रात विरात सुनसान जगह पर आने जाने वाले लोगों को डरा कर धमकाकर पैसे ले लिया करता हूं जिससे मेरे पीने खाने का खर्च चलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- विजय सिंह पुत्र बाबू लाल निवासी ग्राम सराय तिहाइत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त विजय सिंह पुत्र बाबू लाल निवासी ग्राम सराय तिहाइत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ

1. मु0अ0सं0- 625/1993 धारा 392/412 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ
2. मु0अ0सं0- 626/1993 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ
3. मु0अ0सं0- 627/1993 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ
4. मु0अ0सं0- 190/1996 धारा 147/148/323/504/506 /325/307/379 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ
5. मु0अ0सं0- 73/1993 धारा 323/504/506 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ
6. मु0अ0सं0- 87/1998 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना अंतू जनपद प्रतापगढ
7. मु0अ0सं0- 325/1993 धारा 392/412 भादवि थाना अंतू जनपद प्रतापगढ
8. मु0अ0सं0- 76/1995 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
9. मु0अ0सं0- 77/1999 धारा 3(1) गुण्डा अधिनियम थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
10. मु0अ0सं0- 103/1999 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम व 3/28 ट्रांजि0 एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
11. मु0अ0सं0- 80/2001 धारा 304 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
12. मु0अ0सं0- 134/2001 धारा 392 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी
13. मु0अ0सं0- 86/2001 धारा 392/411 भादवि थाना सागींपुर जनपद प्रतापगढ
14. मु0अ0सं0- 192/2011 धारा 447/323/427 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
15. मु0अ0सं0- 227/2011 धारा 110 जी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ
16. मु0अ0सं0- 181/2015 धारा 110 जी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-   लूट के 850 रूपये नगद व 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह उ0नि0 मुसाफिर यादव, का0 खेमचन्द्र थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जेठवारा के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह उ0नि0 सुभाष चन्द्र उपाध्याय, का0

शिव शंकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0न0-5860/23 मु0अ0सं0-400/21 धारा- 147, 504, 427, 352, 506 भादवि0 से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 01. नन्हेलाल पुत्र केदार नाथ 02. राजाराम पुत्र रामसेवकर निवासीगण सादुल्लापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01. नन्हेलाल पुत्र केदार नाथ निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

02. राजाराम पुत्र रामसेवकर निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 गणेशदत्त पटेल मय हमराह का0 दिनेश यादव, का0 पुष्पन्द्र कुमार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह उ0नि0 सुभाष चन्द्र उपाध्याय, का0 शिव शंकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-37/22 वाद संख्या 10225/23 धारा 498ए, 494,323,504 भादवि0, 3/4डीपी एक्ट व 3/4मुस्लिम विवाह अधि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चाँदपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के गाँव चाँदपुर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चाँदपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह उ0नि0 सुभाष चन्द्र उपाध्याय, का0 शिव शंकर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।